

सूरत भूमि

हिन्दी दैनिक

संपादक : संजय आर. मिश्रा

वर्ष-10 अंक: 287 ता. 21 मई 2022, शनिवार, कार्यालय: 114, न्यु प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेंट, डिंडोली, डिंडोली, उधना सूरत (गुजरात) मो. 9327667842, 9825646069 पृष्ठ: 8 कीमत: 2:00 रुपये

ho@suratbhumi.com



/Suratbhumi.com



/Suratbhumi



/Suratbhumi



/Suratbhumi



/Suratbhumi

गेहूं के भाव में आई तेजी

आगरा सहित इन जिलों की मंडियों में सरकारी समर्थन मूल्य से कहीं ज्यादा मिल रहे दाम



आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा सहित एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा और कासगंज में गेहूं का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी से ऊपर चल रहा है। जानकारों का मानना है कि इस भाव में अभी और अधिक तेजी आ सकती है। हालांकि आसमान खूबे गेहूं के रेट पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर 13 मई को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है, इसके बाद भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ताजनागरी आगरा में बाह के साथ ही अछनेरा और किरावली की मंडी में बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद होती है। बाह की बात करें तो जरा के एफसीआई के खरीद केंद्र पर डेढ़ महीने में सिर्फ 10 क्विंटल गेहूं की खरीद हो सकी है, जबकि बाजार में आदती 500 क्विंटल से भी ज्यादा की खरीद कर चुके हैं। किसान और व्यापारी इसकी वजह कीमतों में अंतर मानते हैं। गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि मंडी में 2150 रुपये की दर से खरीद हो रही है। जरा के गल्ला व्यापारी राम मोहन गुप्ता, सतीश गुप्ता, नीरज गुप्ता ने बताया कि उनके यहां पर करीब 150 से 200 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। जरा के एफसीआई के खरीद केंद्र के प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि खरीद के लिए बारदाना से लेकर धरनाशिका का इंतजाम है। सभी तैयारियां होने के बाद भी किसान गेहूं लेकर नहीं आ रहे हैं। अभी तक महज 10 क्विंटल गेहूं की खरीद हो सकी है। जरा की मंडी में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से गेहूं बेचने के लिए पहुंचे किसान रामसेवक, गिरांज सिंह, सुरेंद्र सिंह आदि ने बताया कि सरकार को गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति क्विंटल करना चाहिए। तभी किसान खरीद केंद्र पर पहुंचेंगे। एटा में सरकारी गेहूं खरीद एक अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इसके लिए 2015 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है, जबकि मंडी में निजी आदतों पर 2150 से 2200 का रेट किसानों को मिल रहा है। वहीं मथुरा में गेहूं का सर्वाधिक रेट मिल रहा है। यहां आदतों पर अच्छे गेहूं 2400 से 2600 प्रति क्विंटल बिक रहा है। यही वजह है कि यहां के किसान तो सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर पहुंच ही नहीं रहे हैं। वहीं मैनपुरी, फिरोजाबाद और कासगंज में भी गेहूं के रेट 2200 से लेकर 2250 प्रति क्विंटल चल रहा है। मैनपुरी में तो इस बार महज 0.37 फीसद ही गेहूं की खरीद हो सकी है।

6 साल बाद जेल से बाहर आई इंद्राणी मुखर्जी

नई दिल्ली। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी छह साल से अधिक समय के बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भायखला जेल से बाहर आ गईं। अदालत ने कहा कि जमानत राशि 2 लाख रुपये तय की गई और इंद्राणी को दो सप्ताह के भीतर राशि जमा करनी होगी। 6 साल जेल की सजा काटने के बाद जमानत मिलने पर बाहर आई इंद्राणी मुखर्जी ने कहा कि वो जेल से बाहर आकर बहुत खुश हैं। बताते चलें कि इंद्राणी मुखर्जी पिछली शादी से अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं। शीना बोरा का 2012 में कथित तौर पर अपहरण कर मर्डर कर दिया गया था। इंद्राणी मुखर्जी के अब पूर्व पति और मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी भी दो अन्य लोगों के साथ इस मामले में आरोपी हैं।

महाराष्ट्र : लकड़ियों से भरे ट्रक और पेट्रोल टैंकर में टक्कर के बाद लगी आग, 9 की मौत



मुम्बई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शुक्रवार तड़के हुई एक भीषण दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। तेज रफतार से आ रहे एक ट्रक और पेट्रोल टैंकर में इतनी भीषण टक्कर हुई कि दोनों वाहनों में आग लग गई। ट्रक लकड़ियों से भरा था, इसलिए आग को फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ट्रक में बैठे 7 लोग और पेट्रोल टैंकर में बैठे 2 लोग आग की चपेट में आ गए और सभी ने मौके पर दम तोड़ दिया। हादसे में शव इतनी खुरी तरह से जल गए हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। इस भीषण दुर्घटना के बाद कई घंटों तक चंद्रपुर शहर की ओर जाने वाली सड़क जाम रही। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं, आग की लपटों से पास के जंगल में आग लग गई। चंद्रपुर सब डिवीजनल पुलिस अफसर सुबोध नंदनवार ने बताया कि शहर के मुख्य मार्ग पर अजयपुर गांव के पास ट्रक, टायर के फटने के बाद वह अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे टैंकर से टकरा गया और उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना के बाद टैंकर से पेट्रोल फैलने की वजह से आसपास के कई पेड़ जल गए हैं। आग तड़के चार बजे के आसपास लगी थी और इस पर शुक्रवार सुबह 11 बजे पूरी तरह काबू पाया गया। चंद्रपुर से फायर ब्रिगेड की एक दर्जन गाड़ियों को आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर बुलाया गया था। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि अजयपुर से अग्निशमन दल के लोग इस दुर्घटना के करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गए।

आजम खान का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला

कहा: जड़ में अपनी जे ही डाला जहर

रामपुर। सीतापुर जेल से बाहर निकल रामपुर पहुंचते ही आजम खान ने इशारों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। आजम के परिवार ने पहले ही उपेक्षा का आरोप लगाकर साफ कर दिया था कि अखिलेश यादव पार्टी के दिग्गज नेता का भरोसा खो चुके हैं। अब आजम ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि ज्यादा जुल्म अपनों ने ही किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि दरख्तों की जड़ों में अपनों ने ही जहर डाला है। आजम खान ने जेल में बिताए अपने समय को बेहद कठिन बताते हुए कहा, "हमें

मूल सकते।" घर पहुंची भीड़ का शुक्रिया अदा करते हुए आजम खान ने कहा कि हम पर ज्यादातर जुल्म हमारे अपनों ने किया। इन सूखे दरख्तों की जड़ों में जहर डालने वाले हमारे अपने हैं। माना जा रहा है कि आजम खान का इशारा अखिलेश यादव को और है। हाल ही में आजम के करीबियों ने खुलकर आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव ने बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। इसके बाद आजम खान ने अखिलेश यादव की ओर से भेजे गए टूटों से मित्रों से इनकार कर दिया था। आजम खान ने कहा, "भरे शर को उजाड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि वहां तुम्हारी आबादी है।

ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश: वाराणसी जिला जज 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करें



वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को तीसरी बार बैठी। तीन जजों की बेंच ने केस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। यानी अब मामले की सुनवाई बनारस के जिला जज करेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 51 मिनट चली सुनवाई में साफ शब्दों में कहा कि मामला हमारे पास जरूर है लेकिन पहले इसे वाराणसी जिला कोर्ट में सुना जाए। कोर्ट ने कहा कि जिला जज 8 हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करेंगे। तब तक 17 मई की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश जजों के दायरे में ही रहेंगे। वता दें कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तीन बड़ी बातें कही थीं। पहला- शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए। दूसरा- मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से न रोका जाए। तीसरा- सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने

सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर

समर्थकों के साथ पहुंचे अदालत



लखनऊ। नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वे अपने समर्थकों के साथ कोर्ट पहुंचे। सिद्धू अपने साथ कपड़ों का एक बैग लेकर गए हैं। अब उन्हें माता कौशल्या अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया है। इसके बाद उन्हें पटियाला जेल भेज दिया जाएगा। सुबह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से समर्पण करने के लिए समय मांगा था जिस सुप्रीम कोर्ट ने टुकरा दिया है। सरेंडर करने जाने से पहले सिद्धू के पटियाला स्थित आवास पर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। पूर्व सांसद डॉ. धर्मवीर गांधी भी सिद्धू से मिलने पहुंचे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी सिद्धू को फोन किया और कहा कि कांग्रेस आपके साथ है, आप स्ट्रॉंग रहिए। इससे पहले जस्टिस एएम खानविलकर ने सिद्धू को आवेदन दाखिल करने के लिए कहा था। हालांकि चीफ जस्टिस ने सिद्धू को आवेदन दाखिल करने के लिए मार्केट में पहुंचे थे। मार्केट में पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी हो गई। बात हाथापाई तक जा पहुंची। इस दौरान सिद्धू ने गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को मात्र एक हजार रुपये जुमाने की

सजा सुनाई गई थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को 15 मई 2018 को दरकिनार कर दिया था जिसमें रोडरेंज के मामले में सिद्धू को गैरइरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी माना था लेकिन उन्हें जेल की सजा नहीं दी थी और 1000 रुपये का जुमाना लगाया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत इस अपराध के लिए अधिकतम एक साल जेल की सजा या 1000 रुपये जुमाने या दोनों का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हाथ भी अपने आप में एक हथियार हो सकता है, अगर एक बॉक्सर, पहलवान, क्रिकेटर या बेहद तंदुरुस्त व्यक्ति पूरे ड्यूटे से इसका इस्तेमाल करे। ऐसे में केवल जुमाना लगाकर सिद्धू को छोड़ देना ठीक नहीं है। पीठ ने सिद्धू को धारा-323 (गंभीर चोट पहुंचाने) का ही दोषी माना और इस अपराध के तहत दी जाने वाली अधिकतम एक वर्ष कैद की सजा सुनाई।


पहले बेटे की चाकू से गर्दन रेंती और फिर बहू को मार डाला, पिता बोला-मुझे कोई पछतावा नहीं है

कानपुर। बेटे और बहू की हत्या करने के बाद भी दीप तिवारी को कोई पछतावा नहीं है। पुलिस से पूछताछ में वह बोला कि मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। छह माह से जो नरक से गुजरा हूँ बस उसका कारण मत पूछिए। दीप तिवारी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसके सामने समस्याओं का अंबार था। समझ नहीं आ रहा था कैसे इनसे पार पाएं। इस कारण उसने यह कदम उठा लिया। दीप ने कहा कि उसके सामने अफसोस नहीं है जब उससे पूछा गया कि किन कारणों से आपने इतना बड़ा कदम उठाया। तब वह बोला कि वजह न पूछिए। दीप ने पुलिस के सामने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया। उसने कहा कि रात में लगभग साढ़े नौ बजे उसने पूरे परिवार के साथ खाना खाया। उसके बाद वह नीचे कमरे में रह गया। बड़ा बेटा मोनू, शिवम और जुली ऊपर छत पर टहलने निकल गए। नीचे पिता ने आधा घंटा यही सोचा कि कैसे दोनों की हत्या करनी है। दीप उसके बाद ऊपर छत पर चला गया और थोड़ी देर बात बेठा और बहू नीचे आ गए। वह बड़े बेटे के साथ छत पर सोने के लिए रुक गया।

अलर्ट! बैंक अकाउंट में 342 रुपये रखना है जरूरी, वर्ना 4 लाख रुपये का होगा नुकसान

लखनऊ। आपके बैंक अकाउंट में 342 रुपये नहीं हैं तो 4 लाख रुपये तक का नुकसान हो सकता है। दरअसल, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) को सालाना रिन्यू कराने की आखिरी तिथि 31 मई है। अगर आपने इन दोनों योजनाओं को रिन्यू नहीं कराया तो 4 लाख रुपये तक की बीमा में वॉच रह सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा: इस योजना के तहत किसी भी कारण से होने वाली मौत के लिए कवरेंज दी जाती है। इस योजना से जुड़ने के लिए उम्र

सब्जी के पौध रोपण को अच्छा बनाने के लिए व हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए नेथेलिन एसिटिक एसिड, इण्डोल एसिटिक एसिड के द्वारा जड़ों को 0.1-0.2 मि.ग्रा. प्रति लीटर 24 घंटे तक उपचारित करें यह टमाटर, बैंगन व गोभीवर्गीय फसलों में लाभदायक होता है.



पौध वृद्धि हार्मोन्स

पादप हार्मोन्स एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो परिवहन पश्चात पादपों के अन्य अंगों में पहुंचकर अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में वृद्धि तथा उपापचय क्रियाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं. इन्हें पादप हार्मोन्स कहा जाता है इसको निम्न दो वर्गों में बांटा गया है :-

आक्जिन

अ. इण्डोल एसिटिक एसिड, ब. इण्डोल ब्यूटाइरिक एसिड, स. नेथेलिन एसिटिक एसिड

जिबरेलिक

अ. जिबरेलिक एसिड साइटोकाइनिन - काइनेटिन, जिथेनिन वृद्धि रोधक एबीसिटिक एसिड

इथाइलीन

पौध वृद्धि नियामकों का सब्जी उत्पादन में लाभदायक प्रयोग -

प्रसुसा अवस्था तोड़ने

(अ) आलू फसल में यदि एक प्रतिशत याथोयूरिया, इथाइलीन क्लोराइड या जिबरेलिक एसिड का उपयोग करते हैं तो प्रसुसावस्था को तोड़ा जा सकता है. (ब) आलू को बुवाई पूर्व जिबरेलिक एसिड 0.5 मि.ग्रा. प्रति लीटर व बैंगन में 15-25 पी.पी.एम. तथा लौकी, खरबूजा और तरबूज इत्यादि को एथीफान 500 पी.पी.एम. से 24 घंटे तक बीज को बुवाई से पहले भिगोये.

सब्जियों को दे उन्नत तकनीक की खुराक

लम्बी अवधि वाले पौधों में शीघ्र पुष्प

आलू, पालक, मिर्च इत्यादि में जल्दी ही फूल आ जाते हैं जिबरेलिक एसिड 200-800 पी.पी.एम सांद्र घोल से छिड़काव करना चाहिए व 2.4 डी के 100 पी.पी.एम. घोल का शकरकंद के ऊपर छिड़काव करने से फूल जल्दी आ जाते हैं. सब्जी के पौध रोपण को अच्छा बनाने के लिए व हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए नेथेलिन एसिटिक एसिड, इण्डोल एसिटिक एसिड के द्वारा जड़ों को 0.1-0.2 मि.ग्रा. प्रति लीटर 24 घंटे तक उपचारित करें यह टमाटर, बैंगन व गोभीवर्गीय फसलों में लाभदायक होता है. सब्जियों को बहुत अधिक सर्दी से बचाने के लिये 0.75 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर साइकोसिल (सी.सी.सी.) का छिड़काव कलिका बनने से पहले आलू की फसल में करने से पौधों में अधिक सर्दी को सहन करने की क्षमता आ जाती है. टमाटर में 0.4 से 0.5 प्रतिशत साइकोसिल और जिबरेलिक एसिड 25 पी.पी.एम. के छिड़काव से इसे सर्दी के प्रति कठोर बनाया जा सकता है. मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने (जिनमें नर व मादा फूल अलग-अलग आते हैं) - जैसे कुकरबिटेशी फूल के पौधों में व खीरा, लौकी में जिबरेलिक एसिड का 10-30 पी.पी.एम. घोल का छिड़काव हो जाता है. जिससे मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि हो जाती है व उपज भी बढ़ जाती है इसके अतिरिक्त खीरा तथा लौकी में मौलिक हाइड्रोसाइड के दो छिड़काव 25 से 50 पी.पी.एम. दो या चार परती अवस्था में करना चाहिए जिससे मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है व उपज में वृद्धि हो जाती है. फलों को सुचारु रूप से बनने तथा विकास को नियमित करने में - टमाटर, मिर्च के लिये नेथेलिन एसिटिक एसिड का 20 पी.पी.एम. तथा बैंगन के लिये इण्डोल एसिटिक एसिड 50-100 पी.पी.एम. के घोल का छिड़काव करें जिससे फलों का विकास अच्छी प्रकार से होता है. पार्थेनोकार्पी व फलों के विकास में - बैंगन तथा कुकरबिटिस में 2.4 डी 25-30 पी.पी.एम. व नेथेलिन एसिटिक एसिड 200 पी.पी.एम. के घोल का छिड़काव करने से बीज रहित फल का निर्माण होता है. फलों को एक समान पकाने व रंग लाने के लिये - टमाटर को 1000 पी.पी.एम. व मिर्च को 2000-5000 पी.पी.एम. से दो मिनट तक उपचारित करने से फल एक समान पकते हैं व समान रंग आता है जिससे बाजार मूल्य अच्छा मिलता है.

पाला से बचाने के लिये

टमाटर व पालक को पाला से बचाने के लिये एसिटिक एसिड का खीरा में जिबरेलिक एसिड 1 पी.पी.एम. का उपयोग किया जाता है. सब्जियों (टमाटर, मिर्च) के पौधों में फलों के गिरने से बचाने के लिये प्लेनोफिक्स 10-20 पी.पी.एम. घोल का छिड़काव करें जिससे फलों को गिरने से रोका जा सकता है. प्याज में इथियान की 500-1000 पी.पी.एम. की 4-5 पत्ती अवस्था में प्रयोग करने से प्याज की गोद बना शीघ्र प्रारंभ हो जाती है. चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण में 2.4 डी का छिड़काव किया जाता है. उपरोक्त मात्रा को किसान भाई सही मात्रा व सही समय पर उचित प्रयोग करके सब्जियों के उत्पादन में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

पौध वृद्धि नियामकों के प्रयोग के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ

- अधिक मात्रा में इनका प्रयोग करने पर यह डेण्डू की वृद्धि एवं विकास के साथ-साथ गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव डालता है.
- इनका प्रयोग सही अनुपात में करना चाहिए अन्यथा यह सिंक एवं सोर्स के संबंध पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं. जिससे डेण्डू का गिरना तथा विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बर्ड होने की संभावना बढ़ जाती है.
- यह महंगे होते हैं और बाजार में आसानी से नहीं मिल पाते हैं. जिससे किसान इसका प्रयोग अपनी फसलों की उपज बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं.

प्रदूषित मिट्टी की पहचान एवं समाधान

मिट्टी को उपजाऊ बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि उसे क्षरण और प्रदूषण से बचावें। परंतु उससे पहले यह जानना होगा कि क्या मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी से उत्पादकता कम हो रही है या प्रदूषण में जमा हो रहे पदार्थों से उर्वरता क्षीण हो रही है और यदि मिट्टी में प्रदूषित हो रही है तो उसके कारकों को जाने उर्वरता प्रबंधन करें अन्यथा मनुष्य का जीवन भी सुरक्षित नहीं होगा जिसके कारण वर्तमान समय में नई-नई बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। कुछ प्रदूषण के कारक निम्नानुसार हैं:



(अ) रसायनिक कीटनाशियों में मुख्य रूप से दो प्रकार के कीटनाशी प्रयोग किये जाते हैं। वे निम्न हैं

ओरगेनोक्लोरीनस

ये कीटनाशी मिट्टी में जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं जिसके कुछ अंश वर्षों तक मिट्टी में विद्यमान रहते हैं जिनके कारण हार्मोन्स एवं एंजाइम्स की क्रियाएँ परिवर्तित हो जाती हैं जिससे उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे डीडीटी, बीएचसी आदि।

ओरगेनोफॉस्फेट

ये मिट्टियों में अधिक मात्रा में प्रयोग किये जाते हैं परंतु जीवाणुओं द्वारा जल्दी अपघटित हो जाते हैं और जीव-जंतुओं के शरीर में संचित नहीं होते हैं।

- **फफूंदनाशकों के द्वारा मिट्टी प्रदूषण:** पारयुक्त रसायनों के उपयोग से मृदा के लाभकारी जीवाणुओं को हानि पहुंचाते हैं जो मिट्टी के संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इन पर भारत शासन द्वारा 1996 में प्रतिबंध लगा दिया है जैसे- एप्रोसान, मोनोसान बीजोपचार दवाओं द्वारा मिट्टी प्रदूषण होता है।
- **खरपतवार नाशकों के द्वारा मिट्टी प्रदूषण:** खरपतवार नाशी मिट्टी परिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर भी सीधा कुप्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवारशी रसायन दलहनी मिट्टी जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं।

टोस एवं जलीय अपद्रव्यों द्वारा मृदा प्रदूषण

टोस एवं जलीय अपद्रव्य मिट्टी में निम्नलिखित स्त्रोतों द्वारा मिट्टी में पहुंच कर मिट्टी की उर्वरता क्षीण करती हैं।

- **कारखानों के अपद्रव्यों द्वारा प्रदूषण:** फेक्ट्रियों एवं कारखानों से निकली टोस एवं जलीय अपद्रव्यों को बिना उपचारित किये मिट्टी में विखरित करना मिट्टी एवं फसल दोनों को घातक है इनमें विषैले तत्व मिले होने के कारण मिट्टी की उर्वरता क्षीण हो जाने का प्रभाव डालती हैं। इन टोस एवं जलीय अपद्रव्यों से मिट्टी की भौतिक, रसायनिक एवं जैविक दशा भी परिवर्तित हो जाती है।
- **रेडियो धर्मी पदार्थों द्वारा प्रदूषण:** रेडियो धर्मी पदार्थ कई प्रकार से मिट्टी में विद्यमान रहते हैं जो जीवों के अलावा मिट्टी की उर्वरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- **मृत पशुओं से प्रदूषण:** मृत पशुओं को खुला छोड़ने से जीवाणुओं की क्रियाओं से मांस सड़ने लगता है जिससे मिट्टी में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं।
- **घरों का कचड़ा खेतों में फेंकने से प्रदूषण:** किसान भाई बिना गह्वे में सड़ये घर का कचड़ा खेतों में डाल देते हैं जो जीव और पौधों को हानि पहुंचाते हैं। और मिट्टी भी प्रदूषित हो जाती है जिसमें कीड़े आदि मिट्टी में उपलब्ध हो जाते हैं।
- **कारखानों के निकली गैसों द्वारा प्रदूषण:** कारखानों के निकली गैसों में सल्फर एवं नाइट्रोजन के आक्साइड वायुमण्डल से नमी से क्रिया करके गंधक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं जो वर्षा जल या नम धुन्ध से भूमि पर गिरते हैं और मृदा की अम्लीयता को बढ़ाते हैं।

रसायनिक उर्वरकों द्वारा प्रदूषण

मिट्टी में रसायनिक उर्वरकों द्वारा तब प्रदूषण अधिक होता है जब बिना मिट्टी जांच करायें

कृषि रसायनिकों के द्वारा मिट्टी प्रदूषण: परंपरागत खेती में मिट्टी में पोषक तत्वों का चक्र मिट्टी-पौधे-पशु-मिट्टी होता था जो आज की आधुनिक खेती में रसायनिक उर्वरकों के कारण छोटा हो गया है इस कारण पौधे/पशु अवशेषों से मिट्टी में प्रदूषण बढ़ा है गुणवत्ता बढ़ाने के स्थान पर प्रदूषित करते हैं। कृषि में प्रयोग किये जाने वाले कृषि रसायनों द्वारा प्रदूषण निम्न प्रकार से होता है।

- **जल भराव के कारण प्रदूषण:** अधिक जल भराव की स्थिति में मिट्टी लवणीय हो जाती है जिससे सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियाँ रुक जाती हैं और मिट्टी प्रदूषित हो जाती है।
- **उत्खनन एवं भवन निर्माण कार्य से प्रदूषण:** खनियों के उत्खनन एवं भवन निर्माण कार्य से प्रदूषण ऊपरी सतह पर खदानों से बहकर हानि कारक पदार्थ जमा हो जाते हैं या निर्माण के समय बचे हुए पदार्थ बह कर मिट्टी सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है।
- **वनो की अंधाधुंध कटाई से प्रदूषण:** वनों के पेड़ों की कटाई से मिट्टी क्षरण बढ़ता है साथ ही वर्षा भी कम होती है जिससे मिट्टी की उर्वरता क्षीण होती है।

देश की बढ़ती जनसंख्या के भरण

पोषण के लिये आवश्यक हो गया है कि हमारे देश की उपलब्ध मिट्टी को सुरक्षित कैसे किया जाये क्योंकि खेती योग्य जमीन लगातार भवन निर्माण आदि में उपयोग होकर घटती जा रही है तथा कुछ क्षेत्र अम्लीयता क्षारीय के कारण खेती के अयोग्य होता जा रहा है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज विचार आवश्यक है अन्यथा बहुत देर हो गई होगी जब हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता खो देगा इसलिये आज मिट्टी प्रदूषण का नियंत्रण नहीं प्रबंधन जरूरी है जो हर देशवासी का मानवीय कर्तव्य है।

मिट्टी प्रदूषण को रोकने के लिए प्रबंधन



- एकीकृत पौध संरक्षण अपनाते हुए कीट नियंत्रण कर जब तक आवश्यक न हो तब तक कीट रसायन उपयोग न करें और यदि करना आवश्यक हो तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से अनुसंधित मात्रा को उचित विधि से उपयोग करें।
- रसायनिक खादों का उपयोग मिट्टी की जांच उपरांत आवश्यक मात्रा को उचित विधि व समय पर दें।
- खरपतवार प्रबंधन में जहाँ तक संभव हो यांत्रिक विधियों का उपयोग करें यदि रसायन उपयोग करना हो तो उचित सहाय के बाद ही उपयोग करें।
- कारखानों से निष्काशित पदार्थ जल को वैज्ञानिक विधियों द्वारा उपचारित कर शुद्ध करके ही खेतों में दें।
- कारखानों से निष्काशित गैसों की चिमनियों को ऊंचा बनाया जाये और उसके ऊपर वायु शोधन यंत्र भी होना आवश्यक है।
- अधिक वर्षा एवं पर्यावरण शुद्धिकरण हेतु वनों की कटाई न करें बल्कि खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगावें।
- खेतों की मेड़ बंदी करें, खेतों को समतल करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करें जिससे मिट्टी कटाव न हो।
- घरों से निकलने वाले कचड़े का कम्पोस्ट बनाकर खेतों में डालें।
- मल-मूत्र एवं गंदे पानी को खेतों में सीधा न जाने दें।
- भवन एवं सड़क निर्माण से बचे हुए कचड़े को खेतों में न डालें तथा खदानों के प्रदूषित पानी को खेत में न आने दें।
- यदि खेतों में वायु प्रदूषण के कारण अम्लीयता बढ़ रही है तो मृदा में चूना का उपयोग करें। साथ ही अम्लीयता सहन करने वाली फसलों की बुवाई करें।
- यदि खेतों की क्षारीयता बढ़ रही हो तो जिसस उपयोग के साथ-साथ जैविक खादों का उपयोग बढ़ावें।

मूंग का भभूतिया रोग



यह रोग दुनिया भर में पाया जाता है, जहाँ मूंग की खेती होती है, मध्यप्रदेश में मूंग का क्षेत्रफल 84 हजार रोग सन 1918 में रिपोर्ट किया गया था। मूंग पर इस रोग का आक्रमण फलियों के बनते समय आसमान में बादल छाये हो तब अधिक होता है। शीघ्र पकने वाली जातियों में हानि कम होती है। परंतु रोग का जब भीषण प्रकोप होता है तब खेत में फलियों की संख्या 20 से 30 प्रतिशत तक घट जाती है और उपज में 40 प्रतिशत तक की कमी हो जाती है। इस रोग को उत्पन्न करने वाला कवक इरीसाईकी पीसी संसार के विभिन्न भागों में 300 से अधिक परपौषी जातियों पर पाया जाता है और इस कवक के विभिन्न क्रियात्मक प्रभेद कुछ अन्य फसलों जैसे-घनिया, सौंफ, रिजका, उड़द, मटर, गोभी इत्यादि पर भी संक्रमण करते हैं।

लक्षण

सर्वप्रथम रोग पौधों की पत्तियों पर दिखाई देता है तथा बाद में पौधों के दूसरे भागों पर भी फैल जाता है। प्रारंभ में पत्तियों की दोनों सतहों पर सफेद चूर्णी धब्बे बनते हैं जो बाद में फली एवं तने इत्यादि के ऊपर भी बन जाते हैं। पहले धब्बे छोटी-छोटी रंगहीन चित्तियों के रूप में बनते हैं परंतु अंत में इनके चारों ओर चूर्णी समूह फैल जाता है। इस प्रकार से रोगी पौधे छोटे रह जाते हैं उन पर फलियाँ भी कम लगती हैं तथा दाने हल्के होते हैं। पत्तियों के जिस स्थान पर परजीवी का कवक जाल फैला रहता है वहाँ की कोशिकाएँ ऊतकक्षय के कारण मर जाती हैं संक्रमित पत्तियाँ पीली पड़ कर मुड़ जाती हैं और अंत में गिर जाती हैं। रोग का अधिक प्रकोप होने पर पौधा मर जाता है। कवक इरीसाईकी पीसी अनेक एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय परपौषी पौधों पर आक्रमण करता है। पूरे वर्ष अपनी कोनिडियमी



